

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 291/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 27.07.2026

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक: 27.07.2026

थाना: रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

फर्जी दस्तावेज तैयार कर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले तीन शातिर अभियुक्त

गिरफ्तार

नौकरी के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश, तीन शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

आजमगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता: फर्जी नियुक्ति एवं दस्तावेज तैयार कर ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्य दबोचे

फर्जी पुलिस वेरिफिकेशन व सरकारी दस्तावेज तैयार कर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, भारी मात्रा में फर्जी सामग्री बरामद

लोकेशन ट्रेस कर पुलिस की सटीक कार्रवाई, नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार, के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री चिराग जैन, व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 26/27.07.2026 की रात्रि में व०उ०नि० सुशील कुमार मय हमराह क्षेत्र में भ्रमणशील थे। अभियुक्त लालू उर्फ राकेश कुमार की मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम कोटिला कट के पास आजमगढ़-वाराणसी मुख्य मार्ग पर पहुंची, जहां एक ब्रेजा कार के पास तीन संदिग्ध व्यक्ति आपस में बातचीत करते मिले।

पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम क्रमशः लालू उर्फ राकेश कुमार पुत्र विमलेश कुमार महतो निवासी सेलीबेली थाना बासोपट्टी जनपद मधुबनी बिहार, दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व. रघुनाथ गुप्ता निवासी ग्राम डेहरी पोस्ट कोटवारी थाना रसड़ा जनपद बलिया तथा धर्मेन्द्र गुप्ता पुत्र रमाकान्त गुप्ता निवासी ग्राम मन्दा थाना रसड़ा जनपद बलिया बताए। तीनों को समय 23:55 बजे गिरफ्तार किया गया।

जिसके संबंध में दिनांक 20.05.2026 को वादी मुकदमा पंकज यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासी ग्राम अंधौरी, पोस्ट चढ़ई, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना रानी की सराय पर मु०अ०सं० 123/2026 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 336(4),

340(2), 61(2), 351(3), 352 एवं 338 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त लालू उर्फ राकेश कुमार, दिनेश कुमार गुप्ता एवं धर्मेन्द्र गुप्ता के नाम प्रकाश में आए।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 123/2026 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 336(4), 340(2), 61(2), 351(3), 352 एवं 338 बीएनएस, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

मु0अ0सं0 132/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) एवं 351(3) बीएनएस, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

मु0अ0सं0 147/2026 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) एवं 351(3) बीएनएस, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

पुलिस द्वारा अभियुक्तों के कब्जे से 04 मोबाइल फोन, 02 एयरटेल सिम कार्ड, 11 मोहर, 01 इंकपैड, 01 स्टेपलर पिन सहित, 01 आधार कार्ड, 02 पुलिस वेरिफिकेशन प्रोफार्मा, 01 प्रमाणित पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, आधार एवं पैन कार्ड की छायाप्रतियां, जन्म प्रमाणपत्र की छायाप्रति, Government of Nagaland Office of the Deputy Commissioner Dimapur Nagaland के 05 प्रोफार्मा एवं 01 प्रमाणित दस्तावेज, 01 लिफाफा, 01 ब्रेजा कार, रेलवे पहचान पत्र तथा ₹5,360 नगद बरामद किए गए।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. लालू उर्फ राकेश कुमार पुत्र विमलेश कुमार महतो निवासी सेलीबेली थाना बासोपट्टी जनपद मधुबनी, बिहार, उम्र लगभग 26 वर्ष।
2. दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व. रघुनाथ गुप्ता निवासी ग्राम डेहरी पोस्ट कोटवारी थाना रसड़ा जनपद बलिया, उम्र लगभग 50 वर्ष।
3. धर्मेन्द्र गुप्ता पुत्र रमाकान्त गुप्ता निवासी ग्राम मन्दा थाना रसड़ा जनपद बलिया, उम्र लगभग 32 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

व0उ0नि0 सुशील कुमार, का0 सर्वेश कुमार, रि0का0 सरवर आलम खां, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

पूछताछ में अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इंकार किया है तथा अपनी सफाई न्यायालय में प्रस्तुत करने की बात कही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।